

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टॉक)

मुखिया वक्फ कमेटी बनाम हफ्तीखर उनियारा
उनियारा

किस्म मुकद्दमा.....136...PL Act.....नम्बर 7 सन्...2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18-1-18	<p>आज पणवली पैसा हुई। हफ्तीखर अहमद पुत्र फतेह मोठ अहमद मुखिया वक्फ कमेटी ने पाठ उच्छुद किया। फारवा उनियारा के मुखिया स्वभाव को हफ्तीखर ठिकाना उनियारा द्वारा खरिद कर 990, 991, 992, 993, 994, 995, 986, 743, 1044, कुल कित 9 कुल रकबा 18 बीघा 14 गिन्ना भूमि वाले अखिड चिरगा जती येबली अखिड की डेप रेप करने के डान में ही गई थी। उक्त डान में ही गई भूमि खंवर 2034-37 की जमावती में अखिड अहले इस्लाम वाले तेल भोग के भाग से उर्जा है। उक्त खरिद के हांस 29000 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1308, 1321, 1349, 1350, 1351, 2200, 2202, 2205, 2414, कुल कित 16 कुल रकबा 4-35 हों बनोये गये हैं। खरिद के डौगन कार्रवाई के द्वारा अहली के नाम में भुटि डौन करके अखिड अहले इस्लाम वाले तेल भोग के स्थान पर अखिड अहले इस्लाम वाले तेल भोग अंकिर कर दिया गया है। उफरण डौन खरिद किया गया। उतवारी को जयिं नोखि से तलब किया जाये। उतवारी बाद चुचना के उतवारी उतवारी नोकर जवाब उच्छुद किया सिखारी पंजीकर का जवाब उच्छुद के उच्छुद से पुन खरिद अहले इस्लाम वाले तेल भोग के नाम नाम से उर्जा। जो उच्छुद के डौगन खरिद को अहले इस्लाम वाले तेल भोग के स्थान पर अहले इस्लाम वाले तेल भोग कर दिया गया है जो जलत है खरी खरिद अखिड अहले इस्लाम वाले तेल भोग किया जाये। उक्त उफरण हफ्तीखर उनियारा व पणवली कृष्णा की खरिद परवली से खरिद है। जिसे अउमार अखिड अहले इस्लाम वाले तेल भोग किये जाने में कोई भाषित नहीं है और न ही खरिद उच्छुद नोकर है। परवली से उच्छुद रक्तावेनी का अखिड किया गया।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

FORM III


फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

मुद्दिया वक्फा वक्फा वनाम तहसील (अहमदाबाद)

किस्म मुकदमा..... 136A... नम्बर 7 सन्... 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
10.11.18	<p>मौजुद अहले इस्लाम वाले तहसील के स्थान पर मौजुद अहले इस्लाम वाले तहसील किया जाता है तहसीलदार उम्माद को अहले इस्लाम है कि राजस्व रिपोर्ट से अहले इस्लाम किया जाये। पंजाबी फौजदर शुमार होकर नम्बर से काम है। पंजाबी इन्टर राखित किया जाये। निर्णय आज दिनांक 10.11.18 को मामले आग से सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी उनियारा </p>	